


तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)



तलाक

(हिन्दू विवाह अधिनियम)

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्त्री या पुरुष दोनों ही तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह अधिनियम हिन्दुओं, सिक्खों, बौद्ध धर्म मानने वाले और उन सब व्यक्तियों पर लागू होता है जोकि मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी न हों।

इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्न आधारों पर यह आवेदन किया जा सकता है।



यदि दोनों पक्षों में से कोई भी :—

1. शादी के बाद अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबन्ध स्थापित करता हो।
2. शादी के बाद अपने साथी के साथ मानसिक या शारीरिक क्रूरता का व्यवहार करता हो।
3. यदि कोई आवेदन को दो वर्ष पहले से उसके साथ रहना छोड़ दिया हो जब तक कोई ठोस कारण न रहा हो।
4. दोनों पक्षों में से यदि कोई एक हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता हो।
5. यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष पागल हो और उसके साथ वैवाहिक जीवन जीना संभव नहीं हो।
6. अगर दोनों में से कोई एक कुष्ट रोग से ग्रसित हो।
7. पति या पत्नी में से कोई एक संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो।
8. अगर वह अपने परिवार को छोड़कर सन्यास ले ले।



9. अगर उसके किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को उसके जिन्दा होने की कोई भी खबर सात साल तक न मिली हो।

इनके अलावा निम्न आधारों पर पत्नी तलाक ले सकती है।

1. अगर पति शादी के बाद बलात्कार का दोषी हो।
2. अगर शादी के समय पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम रही हो तो वह 18 वर्ष की होने से पहले तलाक ले सकती है।



आपसी सहमति से तलाक लेना –

- आपसी सहमति से दोनों तलाक ले सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवेदन शादी के एक साल बाद ही न्यायालय में दिया जा सकता है।
- इस नियम के अन्तर्गत न्यायालय दोनों पक्षों को सुलह करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है और उसके बाद भी अगर सुलह न हो तो न्यायालय तलाक का आदेश दे देता है।
- तलाकशुदा व्यक्ति दूसरा विवाह तभी कर सकता है, जब कि अपील करने का अधिकार न हो, अपील का समय खत्म हो चुका हो और अपील खारिज कर दी गई हो।

किस न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है ?

हर आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पारिवारिक न्यायालय में या जिला न्यायालय में की जाती है जिसके क्षेत्र में –

1. विवाह हुआ हो।
2. जहां दूसरा पक्ष आमतौर पर आवेदन के समय रहता हो।
3. पति–पत्नी दोनों जहां आखिरी बार साथ–साथ रहे हों।

Thomas Alvares & Associates

Advocates



आवेदन में किन—किन बातों का विवरण होना चाहिए ?

- वह बातें जिनके आधार पर तलाक माँग रहे हैं आवेदन पत्र में उन बातों का स्पष्ट समावेश होना चाहिए।
- आवेदन पत्र में लिखी हुई बातों को आवेदन द्वारा सच साबित करने के लिए साक्ष्यों का होना भी आवश्यक है अथवा उस आवेदन पत्र के साथ आवेदन द्वारा एक शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए।



विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।



निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. सविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल / कारागार / संरक्षण गृह / किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रुपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।



Thomas Alvares & Associates

Advocates

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील –

जनपद –

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

- (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
- (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
- (ग) स्त्री या बालक
- (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
- (ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
- (च) औद्योगिक कर्मकार
- (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
- (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

- (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
- (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
- (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
- (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
- (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

